



73



I/अपील/बिदिशा/आबका/२०१७/६१२५

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-बिदिशा

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज,  
जिला-रायसेन (म.प्र.) ..... अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 2- उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता भोपाल
- 3- जिला आबकारी अधिकारी जिला बिदिशा
- 4- जिला आबकारी अधिकारी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला-रायसेन

..... प्रत्यर्थागण

15.06.17 को  
प्रारम्भिक तर्क हेतु  
4.11.17 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

15/11/17

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/3161 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिब्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

- 1- यहकि, अपीलार्थी कम्पनी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला-रायसेन को वर्ष 2015-16 में जिला बिदिशा प्रदाय क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2014-15/1153 दिनांक 30.03.2015 से दी गयी थी।
- 2- यहकि, उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता भोपाल के पत्र क्रमांक 2015-16 /745 दिनांक 04.06.2015 पत्र क्रमांक 2015-16/933 दिनांक 02.07.2015, पत्र क्रमांक आब/ठेका/2015-16/1127 दिनांक 28.07.2015 पत्र क्रमांक आब/दे.म.ल.चा./2015-16 /1270 दिनांक 22.08.2015 पत्र क्रमांक आब/दे.म.ल.चा./2015-16/1456 दिनांक 30.09.2015 पत्र क्रमांक आब/दे.म.ल.चा/2015-16/1825 दिनांक 30.12.2015, पत्र क्रमांक आब/दे.म.ल.चा/2015-16/102 दिनांक 02.02.2016, पत्र क्रमांक आब/दे.म.ल.चा/2015-16/234 दिनांक 10.03.2016, पत्र क्रमांक आब/दे.म.ल.चा/2015-16/574 दिनांक 31.05.2016 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिला बिदिशा के स्टोरेज मद्यभाण्डागार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल भरी हुयी बोतल बंद मदिरा का


राजस्व मण्डल (रा.मं.)

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

**प्रकरण क्रमांक – एक/अपील/विदिशा/आ.अ./2017/6125**

**जिला – विदिशा**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.12.2017	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को अवधि विधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आबकारी आयुक्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरुद्ध दिनांक 15.12.2017 को पेश हुई है, जो प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य है। विलंब के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19.06.2017 की सूचना उन्हें 29.11.2017 को दी गई थी, परंतु अपने उक्त तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	